प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

आवंटन
अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010021–42

सेवा मे,

आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या 1/शा0/75/2018–1/241/2018 लखनऊः दिनांक 01 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2018

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 के अधीन मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत धनराशि रू0–2000.00 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज उ0प्र0 शासन के क्रमशः शासनादेश संख्या –2209/33–3–2018–212/2017 दिनांक 05 जुलाई, 2018 एवं संशोधित शासनादेश सं0–3349/33–3–2018–212/2017 दिनांक 27 सितम्बर, 2018 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–14 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि व्यय हेतु **रू0 2000.00 लाख (रू0 बीस करोड़ मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. आवंटित की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी, जिन मदों के लिए इसकी स्वीकृति दी जा रही है।
2. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. आवंटित की जा रही धनराशि की पुनरावृत्ति/दुरावृत्ति न हो।
4. प्रशासनिक मद में न्यूनतम धनराशि का ही व्यय किया जायेगा।
5. प्रश्नगत योजनान्तर्गत निर्धारित कार्यों को निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
6. आवंटित की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
7. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
9. मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–81/2017/33–3–2017–212/2017 दिनांक 20.09.2017 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
10. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मि0–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
11. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0–4 पर बजट एवं लेखा अनुभाग को तत्काल उपलब्ध कराना

सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

12. उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों एवं मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की गाइड लाइन की व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा।

13. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होगे।

14. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण–पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

15. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–21–मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के **पृष्ठ सं0–138** पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)
निदेशक,
पंचायतीराज, उ0प्र0।

संख्याः 1/शा0/75/1/2018 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
8. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(मोनिस अली सिद्‌दीकी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उ0प्र0।